

निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

सार्वजनिक सूचना

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले कक्षा चौथी से बारहवीं में सरकारी विद्यालयों से निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत करने बारे।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25

यह सूचना हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं जनसाधारण की जानकारी के लिये है कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र अनुसार 1 लाख 80 हजार रूपए या उससे कम है उनके दाखिले कक्षा चौथी से बारहवीं तक निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करवाये जाने बारे समय सारणी जारी की जाती है जो निम्नानुसार है :-

1. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों के दाखिले करने बारे अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट <https://harprathamik.gov.in/> व <https://schooleducationharyana.gov.in> पर Latest News सैक्शन के Seat Declaration under CHEERAG Scheme (2023-24) पर दिनांक 10.01.2024 से 10.02.2024 तक दर्ज करवा सकते हैं।
2. सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षावाइज़ घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट/ पोर्टल पर दर्शाया जाएगा व सम्बन्धित विद्यालय दिनांक 10.03.2024 से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
3. इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी।
4. सम्बन्धित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आवेदन करने की तिथि दिनांक 15.03.2024 से 31.03.2024 तक होगी तथा वे अपने वर्तमान खण्ड जिसमें वह पहले से पढ़ रहे हैं, में ही आवेदन करेंगे।
5. जिन विद्यालयों में दर्शायी गई सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लाटरी के माध्यम से दिनांक 01.04.2024 से 05.04.2024 की अवधि में ड्रॉ निकाले जाएँगे तथा सम्बन्धित अभिभावकों को लॉटरी ड्रॉ निकालने के समय / तिथि बारे सूचित करेंगे तथा उनकी उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा।
6. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 01.04.2024 से 10.04.2024 तक दाखिले की प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।
7. लॉटरी ड्रॉ के पश्चात् मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक 15.04.2024 तक किये जाएँगे तथा इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.04.2024 से 15.04.2024 तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।

हस्ता.

निदेशक मौलिक शिक्षा,

हरियाणा, पंचकूला